

izi ,Q&1

(नियम 3 देखिए)

वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि का विवरण

1- jkT; dh vFkZ oLFkk & ,d utj ea

- 1.1 वर्ष 2005–06 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के त्वरित अनुमान उपलब्ध हो गये हैं। त्वरित अनुमान अनुसार वर्ष 2005–06 में जी.एस.डी.पी. में स्थिर भावों पर गत वर्ष की तुलना में 6.05 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की पहली छःमाही के दौरान बजट से सम्बन्धित आय और व्यय की प्रवृत्तियों के समीक्षा विवरण में यह उल्लेख था कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2005–06 के प्रदेश के घरेलू उत्पाद में (वर्ष 1993–94 के स्थिर भाव पर) पिछले वर्ष की तुलना में 1.94 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी। अग्रिम अनुमानों की तुलना में त्वरित अनुमानों में सुधार का मुख्य कारण कृषि में 10.2 प्रतिशत की गिरावट के स्थान पर 3.1 प्रतिशत वृद्धि, व्यापार में 1 प्रतिशत गिरावट के स्थान पर 6.1 प्रतिशत वृद्धि तथा खनिकर्म में 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के स्थान पर 6.9 प्रतिशत वृद्धि रही है।
- 1.2 प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन सारणी 1.1 में प्रदर्शित विश्लेषण के लिये वर्ष 1993–94 को आधार बनाया गया है, क्योंकि वह सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है (वर्ष 2005–06 के अखिल भारतीय आंकड़ों को छोड़कर)। कृषि क्षेत्र में पशुपालन, वानिकी, मत्स्य उद्योग तथा खनन क्रिया सम्मिलित हैं। औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, सन्निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल प्रदाय सम्मिलित हैं। सेवा सेक्टर के अन्तर्गत रेलवे, अन्य परिवहन भण्डारण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं।
- 1.3 वर्ष 1993–94 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 4.86 प्रतिशत था जो वर्ष 2003–04 में घटकर 4.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2004–05 में यह योगदान घटकर 3.96 प्रतिशत तथा वर्ष 2005–06 में और घटकर 3.94 प्रतिशत हो गया। इस गिरावट का मुख्य कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले उच्च दर पर वृद्धि है। राजकोषीय नीति के माध्यम से यह प्रयास है कि लोक निवेश में वृद्धि करते हुये तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुये इस अंतर को दूर किया जाय।

rkfydk 1-1

vFKZ oLFk dk rgukRed <kpk

प्रतिशत में


क्षेत्र वर्ष	1993-94	2003-2004	2004-2005	2005-2006
कृषि	43.19 (33.54)	33.96 (24.03)	32.91 (22.81)	32.09 (21.72)
उद्योग	21.15 (23.69)	26.17 (24.54)	25.79 (24.79)	26.43 (24.18)
सेवाएं	35.66 (42.77)	39.34 (51.43)	41.30 (52.40)	41.48 (54.10)

टीप:- 1. कोष क के आंकड़े अखिल भारतीय हैं। सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं। मध्यप्रदेश राज्य के जी. एस. डी. पी. के आंकड़े 1993-94 आधार वर्ष पर आधारित है, क्योंकि इनका पुनरीक्षण अभी बाकी हैं।

2- I dy jkT; ?kjsvmRi kn e8of)

- 2.1 वर्ष 1993-94 से 2003-04 की अवधि में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 4.06 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 5.83 प्रतिशत से काफी कम है। इसका मुख्य कारण निरन्तर तीन वर्षों 2000, 2001, तथा 2002 में राज्य में भारी सूखा रहा। सूखे से प्रभावित होने के पूर्व, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय औसत 6.39 प्रतिशत के मुकाबले 5.97 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर थी। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद को सूखे ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित राजकोषीय मापदण्डों को विकृत किया है।
- 2.2 वर्ष 2005-06 के लिये त्वरित अनुमान अनुसार चालू मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद पये 1,12,177 करोड़ था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 में वृद्धि दर 5.82 प्रतिशत थी। इस तरह वर्ष 2005-06 के लिये वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2004-05 में 3.42 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2005-06 में 6.05 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की गई।
- 2.3 वर्ष 2005-06 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, ितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में विकास दर क्रमशः 3.42, 8.69 तथा 6.50 प्रतिशत थी। 1993-94 से 2005-06 की अवधि में क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे दर्शाई गई है।


चित्र



- 2.4 वर्ष 2005-06 के त्वरित अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र में 3.10 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2004-05 में मौसम के अनुकूल न होने से कृषि क्षेत्र में 3.46 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी थी। अग्रिम अनुमान अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में 8.14 प्रतिशत की कमी अनुमानित थी। वर्ष 2005-06 में रबी के समय भी मौसम अनुकूल नहीं था, परन्तु तिलहन तथा व्यवसायिक सलों-कपास तथा गन्ने, के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन में 3.10 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। विगत 3 वर्षों में राज्य के द्वारा सिंचाई सुविधा के विकास पर वृहद पूंजीनिवेश किया गया है। इस पूंजी निवेश के कारण निकट भविष्य में कृषि उत्पादन में अधिक स्थिरता की आशा है।
- 2.5 वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि में अधोसंरचना संबंधी अवरोधों के कारण विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र की विकास दर बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। बाद के वर्षों 2003-04, 2004-05, 2005-06 में इसमें सुधार परिलक्षित है, परंतु अभी भी प्रदेश में इस क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर से अपेक्षाकृत साधारण है। वर्ष 2005-06 में संनिर्माण (Construction) क्षेत्र में 14.88 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई जो भौतिक अधोसंरचना निर्माण की गति प्रदर्शित करता है। यह अधोसंरचना निर्माण पर सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से अधिक पूंजीगत व्यय के कारण भी है।

- 2.6 वर्ष 2005–06 में सेवा के क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की गई है। यह वर्ष 2004–05 की विकास दर 5.37 प्रतिशत से बेहतर है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त विकास दर 9.83 प्रतिशत से कम है।
- 2.7 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से कृषि आधारित है और कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है। नीचे चित्र में कृषि विकास का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रभाव दिखाया गया है। यह स्पष्ट है कि जब कभी भी कृषि ने कमजोर प्रदर्शन किया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। वर्ष 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में अर्थव्यवस्था का विकास उद्योग तथा कृषि से प्रभावित रहा तथा सेवा क्षेत्र की भूमिका विकास प्रक्रिया के पूरक के रूप में थी। कृषि के कमजोर प्रदर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

चित्र



3- ज.स.डी.पी.; कृषि; राजस्व

- 3.1 वर्ष 2005–06 में राजस्व आधिक्य रुपये 33.32 करोड़ हुआ जबकि उक्त वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार रुपये 25.49 करोड़ राजस्व घाटा अनुमानित था। इसी तरह पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजकोषीय घाटे में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। पुनरीक्षित अनुमान रुपये 4768.90 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2005–06 के लेखे के अनुसार राजकोषीय घाटा

पये 4572.42 करोड़ था। परन्तु ब्याज भुगतान में कमी के कारण प्राथमिक घाटा पये 1082.93 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान) से थोड़ा बढ़ कर पये 1150.63 करोड़ हो गया। ब्याज भुगतान में हुई बचत का उपयोग आयोजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये किया गया है। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय संकेतको में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राजस्व आधिक्य बजट अनुमान पये 970.22 करोड़ से बढ़ कर पये 1763.38 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान) होना अनुमानित है। राजकोषीय घाटा पये 4873.67 करोड़ (बजट अनुमान) से घटकर पये 4593.23 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान) अनुमानित है।

- 3.2 वर्ष 2005-06 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्रातियां पये 20596.80 करोड़ थी जो पुनरीक्षित अनुमान पये 21344.41 करोड़ से कम थी। इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में कमी है। आयोजनेतर राजस्व व्यय पये 16563.71 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान) के विरुद्ध पये 16351.00 करोड़ पर सीमित रहा। वर्ष 2006-07 में राजस्व प्रातियों का पुनरीक्षित अनुमान बजट अनुमान से थोड़ा अधिक तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय का पुनरीक्षित अनुमान बजट अनुमान से कम है।

4- 1. **कृषि**

वर्ष 2000 से 2002 तक सूखा एवं अधोसंरचनात्मक अवरोधों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास के संवेग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य अब उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ चुका है। सार्वजनिक सिंचाई व्यवस्था में अधिक निवेश के अलावा कृषि के विकास दर में वृद्धि की संभावना है। अधोसंरचना में निरन्तर सुधार के कारण औद्योगिक वातावरण में सुधार हुआ है तथा निजी निवेश आकर्षित हुआ है। विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में और सुधार की आशा है। कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में सुधार अपेक्षित है। राज्य के द्वारा वर्ष 2006-07 में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की पूरी संभावना है। इस प्रकार राज्य राजकोषीय अधिनियम में आकल्पित मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

ख. सिलेक्ट राजकोषीय सूचकों में रुख

(रुपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2005-06	2006-07 (पु.अ.)	2007-08 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	20596.80	24859.86	27995.84	20.70	12.62
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	15456.06	17790.15	20101.59	15.10	12.99
2.1	राज्य कर	9113.83	10167.17	11716.31	11.56	15.24
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	6342.23	7622.98	8385.28	20.19	10.00
3	करेतर राजस्व	2208.20	2334.17	2427.03	5.70	3.98
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	2932.54	4735.54	5467.22	61.48	15.45
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	7451.75	4192.62	4816.54	-43.74	14.88
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	2851.98	58.26	43.78	-97.96	-24.85
7	शुद्ध लोक ऋण	4206.69	3489.06	4705.50	-17.06	34.86
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	393.08	645.30	67.26	64.17	-89.58
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	28048.55	29052.48	32812.38	3.58	12.94
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	20563.48	23096.48	25989.11	12.32	12.52
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	16351.00	17271.60	19112.90	5.63	10.66
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	4212.48	5824.88	6876.21	38.28	18.05
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	ब्याज भुगतान	3421.79	3910.02	4252.32	14.27	8.78
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	6519.46	7110.47	7860.21	9.07	10.54
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	6038.80	6900.76	8185.67	14.27	18.62
10.3.4	पेंशन संदाय	1557.15	1729.16	1999.05	11.05	15.61
11	पूंजीगत व्यय (11.1+11.2)	6623.28	5172.28	5881.46	-21.90	13.71
11.1	आयोजनेतर पूंजीगत व्यय	2923.47	315.86	197.00	-89.20	-37.63
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	3699.81	4856.42	5684.46	31.26	17.05
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	834.44	1242.59	823.68	48.91	-33.71
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	796.53	890.02	266.22	11.74	-70.09
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	37.91	352.57	557.46	830.01	58.11
13	कुल व्यय	28021.20	29511.35	32694.25	5.32	10.79
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	20071.00	18477.48	19576.12	-7.94	5.95
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	7950.20	11033.87	13118.13	38.79	18.89
14	राजस्व घाटा / आधिक्य (1-10)	33.32	1763.38	2006.73	5192.26	13.80
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-4572.42	-4593.23	-4654.63	0.46	1.34
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	-1150.63	-683.21	-401.31	-40.62	-41.26

izi ,Q&2

(नियम 4 देखिए)

e/; e dkyd jkt dsh; ulfr foofj.k

d- jkt dsh; l pd& py yf; ½kya Vljx ½

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2005-06	पुनरीक्षित अनुमान 2006-07	बजट अनुमान 2007-08	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2008-09	2009-10	2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा/आधिक्य	0.03	1.42	1.44	1.59	1.44	1.64
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	4.08	3.69	3.34	3.00	2.99	2.99
3.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	52.50	50.14	48.97	47.25	45.64	44.19

[k jkt dsh; l pd& py yf; ½kya Vljx ½

1- jktLo iulfr; ksh: राजस्व प्रातियों में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व सम्मिलित है। दोनों ही प्रकार के राजस्व का कुछ भाग केन्द्र से प्राप्त होता है।

½d½ dj jktLo – कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय कर का हस्तांतरण सम्मिलित है। वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्रीय कर का हस्तांतरण चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से 10 प्रतिशत अधिक अनुमानित है। आगामी वर्षों में के लिये 12 वें वित्त आयोग के पूर्वानुमानों को शामिल किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए कर हस्तांतरण का पूर्वानुमान वित्त आयोग के पंचाट के अंतिम वर्ष के पूर्वानुमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित है। वर्ष 2007-08 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्रातियों का बजट अनुमान पये 11716.31 करोड़ है जो राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों के आकलन पर आधारित है तथा वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान से 16.82 प्रतिशत अधिक है। बाद के

वर्षों में वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर 13.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है।

1/4 1/2 djsj jktLo – करेतर राजस्व में राज्य करेतर राजस्व तथा केन्द्र के आयोजना तथा आयोजनेतर अनुदान आते हैं। वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व प्रशासकीय विभागों से परामर्श उपरान्त पये 2427.03 करोड़ अनुमानित है तथा इसके वर्ष 2007-08 के आधार वर्ष से 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। आयोजना अनुदान वर्ष 2007-08 के आधार वर्ष से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ना अनुमानित है। आयोजनेतर अनुदानों में 12वें वित्त आयोग के विशिष्ट अनुदान सम्मिलित हैं।

1/4 1/2 LFkuh; fudk; kœksl euqŝu – इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को 12वें वित्त आयोग के अनुदान तथा ऐसे अनुदान आते हैं, जिनकी अनुशंसा ितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई है। तृतीय राज्य वित्त आयोग का गणन किया जा चुका है तथा आयोग की अनुशंसाएं अपेक्षित हैं।

1/4 1/2 dq jktLo iŋlr; kœsLo; adsdj jktLo dk fgLI k – कुल राजस्व प्रातियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2006-07 (पुनरीक्षित अनुमान) में 40.89 प्रतिशत है और इसके वर्ष 2010-11 तक 44.36 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

1/4 1/2 dq jktLo iŋlr; kœsLo; adsdjsj jktLo dk fgLI k – कुल राजस्व प्रातियों में करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 9.38 प्रतिशत है तथा वर्ष 2010-11 में इसके 7.27 प्रतिशत होने की संभावना है। कर राजस्व की वृद्धि करेतर राजस्व की अपेक्षा उच्च दर से होने से इस अनुपात में कमी हो रही है।

2- iŋlxr iŋlr; kœsLo: मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2008-09 तक अभिप्रात किये जाने वाले राजकोषीय लक्ष्यों के आधार पर सकल ण उदभूत किये गये हैं। वर्ष 2005-06 में ण समेकन एवं सहायता सुविधा (डी.सी.आर.ए.) योजना की शर्तों को पूरा करने के कारण पये 363.06 करोड़ का ण मा किया गया है। वर्ष 2006-07 में पये 363.06 करोड़ की ण राहत की दूसरी किश्त के लिये भी राज्य ने पात्रता प्रात कर ली है। इस अवधि के दौरान समस्त देय पुर्नभुगतानों को हिसाब में लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से ण की उपलब्धता

तथा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुये नये णों का पोर्ट ेलियों वार्षिक आधार पर तैयार किया जायेगा।

- (d½) dlbzl sm/kj rFk vfxz – 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने राज्य को योजनागत ण देना बन्द कर दिया है और इसमें केन्द्र से योजनागत ण एवं अग्रिम केवल पहले से चल रही बाहय सहायता प्रा त योजनाओं के लिये ही प्रा त होगा।
- (ख) jk'Vr; vYi cpr fuf/k ¼u-,l-,l-,Q-½ dks tkjh fo'ks i frHk&v, ka& वर्तमान में एनएसएसए वित्त व्यवस्था का महंगा परंतु साथ ही योजना वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य स्रोतों से निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये एनएसएसए का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जायेगा। एन.एस.एस.ए से ण वर्ष 2005-06 में पये 3035.02 करोड़ से घटकर वर्ष 2006-07 में पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पये 2120.95 करोड़ हो गया है।
- (ग) m/kjkarFk vfxzkadh ol yk – 31 मार्च 2006 की स्थिति में पये 3848.54 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल व उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों पर है। शेष रहे उधार तथा अग्रिमों की वसूली वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) में 25 प्रतिशत वृद्धि पर अनुमानित है, तथापि वर्ष 2007-08 के लिये पये 25.91 करोड़ की वसूली का अनुमान है।
- (घ) forRh; l fFkuka l sm/kj – नाबार्ड, हुडको, एल.आई.सी., जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का भाग है। नाबार्ड सहायता का स्रोत अपेक्षाकृत सस्ता है, अतः राज्य द्वारा इस स्रोत के उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास किया जायेगा।
- (ङ) vU; ikr; ka¼k½ & Hfo"; fuf/k vkfn & राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्रातियों का एक स्रोत है। उपलब्ध होने पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अंतर की पूर्ति पाटने के लिये किया जायेगा।
- (च) cdk; k nk; Ro & vkafjd __.k rFk vU; nk; Ro & वर्ष 2005-06 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार मार्च 2006 की समाति पर सकल ण पये 45199.79 करोड़ है तथा मार्च 2007 तक

पये 48814.94 करोड़ होना अनुमानित है। यह अनुमान है कि सकल ण 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ता जायेगा। 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति में कुल प्रत्याभूति पयS 13618.14 करोड़ है और इसमें 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याभूतियां, राजकोषीय अधिनियम द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अधीन हों।

3- दृष्टांत :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2007-08 से आयोजना राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आयोजनेतर राजस्व व्यय हेतु अनुदान आयोजनेतर राजस्व व्यय में शामिल है तथा ब्याज राहत को सम्मिलित करने पर इसमें 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

1/2 d 1/2 jkt Lo y Ek – राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान है।

1/4 d 1/2 C; kt l ak; – वर्ष 2006-07 में उधार लिये जाने वाले ण की औसत लागत 8.60 प्रतिशत अनुमानित है, तथा इसी आधार पर पूर्वानुमान (Projections) किये गये हैं।

1/nk% i edk vuqku 1/4 fcl Mh% – प्रमुख अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कुल तकनीकी तथा व्यवसायिक हानि को कम करके र्जा अनुदान को नियंत्रण में रखा जायेगा।

1/rhu% osu & वर्ष 2007-08 के लिये अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान किया गया है जिससे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता के वेतन में विलय के कारण अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जा सके। इस कारण वर्ष 2008-09 से वेतन मद अन्तर्गत 8.6 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

1/pkj% i & वर्ष 2007-08 के बाद पेन्शन की वृद्धि दर 10 प्रतिशत होगी।

¼k½ i dñxr yfkk &

¼ d½ m/kj rFkk vfxz & उधार तथा अग्रिम 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब . ने का अनुमान है।

¼nk½ i dñxr ifj0; ; & पूंजीगत व्यय प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब . ने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य वर्ष 2008-09 में प्राप्त करने के पश्चात आगामी वर्षों में इसे इसी स्तर पर रखा जायेगा। लस्व प अतिरिक्त पूंजीनिवेश भी संभव होगा।

4- jkT; I dy ?kjsvñRikn ¼th, I -Mh-i h½esof) :

जैसा कि पूर्व में वर्णित है, जी.एस.डी.पी. में बदलाव राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। यह राज्य की कर संग्रहण क्षमता निर्धारित करता है तथा लस्व प बजट के आकार को निश्चित करता है। समय एवं स्थान में राजकोषीय प्रदर्शन के तुलनात्मक आकलन करने में सभी राजकोषीय मापदण्ड जी.एस.डी.पी. के अनुपात में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। डी.सी.आर.ए . की मार्गनिर्देशिका के अनुसार जी.एस.डी.पी. का पूर्वानुमान 12 प्रतिशत की वृद्धि दर मानकर किया जाना चाहिये। अतः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 11 वर्ष 2005-06 के लिये तैयार किये गये त्वरित अनुमान पर वर्ष 2006-07 के लिये 11 प्रतिशत वृद्धि दर तथा तत्पश्चात 12 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर आगामी वर्षों के लिये जी.एस.डी.पी. का पूर्वानुमान किया गया है।

¼k½ I aguh; rk dk fu/kkZk :

¼½ I kekk; r% i ñlr; kavk\$ 0; ; karFkk fo'k\$dj jkT; dh jktLo i ñlr; ka , oajktLo 0; ; dse/; I agu & राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कुल व्यय में और विशिष्टतः राजस्व व्यय की अपेक्षा प्रातियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व जी.एस.डी.पी. अनुपात 13.97 प्रतिशत है तथा वर्ष 2010-11 तक इसके 15.11 प्रतिशत तक ब . ने की आशा है। स्वयं के कर राजस्व का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 8.16 प्रतिशत है और यह अंतिम वर्ष में 8.74 प्रतिशत पहुंच जायेगा। चालू वर्ष के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 6.12 प्रतिशत है और यह अंतिम वर्ष में 6.01 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

1/2 1/2 vk;ksusj jktLo 0; ; eaof) dk vueku& वर्ष 2005-06 के लिये प्रस्तुत मध्यम कालिक राजस्व नीति वक्तव्य में आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर को 9 प्रतिशत के भीतर सीमित रखे जाने का उल्लेख था। वेतन तथा पेंशन पर व्यय राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। वर्ष 2005-06 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व वक्तव्य में उल्लेखित था कि वेतन पर व्यय 7.5 प्रतिशत तथा पेंशन पर व्यय 9.66 प्रतिशत से अधिक नहीं बनेगा। पचास प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में शामिल करने के निर्णय से प्रथम वर्ष में वेतन, पेंशन पर व्यय में पये 418 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि अनुमानित है। इसके कारण वेतन तथा पेंशन व्यय में वृद्धि दर में एक प्रतिशत की बनेत्तरी होगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालयों, होम्योपैथिक तथा यूनानी कालेजों के लिये चिकित्सा एवं अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता शीर्ष स्तरीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिये आवश्यक है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु और शिक्षकों की आवश्यकता के लक्ष्य पर आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि होगी। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के कारण राज्य सरकार ने पुलिस बल में अतिरिक्त पद स्वीकृत किये हैं। लक्ष्य पर वर्ष 2007-08 में आयोजनेतर राजस्व व्यय में 10.66 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वेतन, पेंशन तथा अन्य आयोजनेतर राजस्व व्यय को आकलित सीमा के भीतर रखने पर राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्भर है। अनुदान, विशेषकर बिजली के लिये अनुदान को युक्तिसंगत स्तर पर रखना होगा। ण समेकन सुविधा के कारण ब्याज भुगतान में राहत मिली है तथा नये णों को लेने का निर्णय सावधानीपूर्वक किया जायेगा जिससे ब्याज भुगतान में वृद्धि सीमित रहे। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आधार पर पूंजीगत प्राप्ति सीमित हैं। राजकोषीय अधिनियम द्वारा कर्ज लेने की नियत सीमा के अंतर्गत संभावित देनदारियों को रखा जायेगा।

1/2 1/2 i khr i l r; kft leacktkj __.k Hh l fefyr g d k mRiknd v l r; k d s l t u d s f y; s n i ; k s & राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2005-06 में ही प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2006-07 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, र्जा, सड़क तथा पुलों के निर्माण में किया जा रहा है। आगामी वर्ष में आयोजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय हेतु सिंचाई, र्जा एवं सड़क तथा पुल के लिए प्रावधान मशः पये 1792.30 करोड़, पये 1708.70 करोड़ तथा पये 1732.72 करोड़ हैं।

1/2 वृद्धि की प्रवृत्ति के आधार पर (अर्थात् विगत 5 वर्ष, जिनके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, में पेंशन भुगतान में औसत वृद्धि दर) पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है:-

वर्ष	आंकड़ा (₹ करोड़)
2001-02	1010.76
2002-03	1082.68
2003-04	1197.27
2004-05	1329.89
2005-06	1557.15
2006-07	1729.16
2007-08	1999.05
2008-09	2198.96
2009-10	2418.85
2010-11	2660.74
2011-12	2926.81
2012-13	3219.49
2013-14	3541.44
2014-15	3895.58
2015-16	4285.14

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2006-07 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2007-08 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं। वर्ष 2008-09 से दिये गये आंकड़ों का आधार 10 प्रतिशत वृद्धि दर पर अनुमानित है।

जैसा कि पहले उल्लेख है, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय के कारण पेंशन उत्तरदायित्व में अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। अतः पिछले प्रतिवेदन में उल्लेखित 9.66 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में संशोधित पूर्वानुमान 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर अनुमानित है।

izi ,Q&3

(देखें नियम 5)

jkt dKsh; ulfr ; fjr foj.k

¼½ jkt dKsh; ulfr & foLrè fopkj : राज्य की राजकोषीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। पांचवे वेतन आयोग के क्रियान्वयन एवं आर्थिक मंदी के कारण निर्मित राजकोषीय दबाव अब कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मुख्य रूप से कर वसूली में सुधार एवं ब्याज दरों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में राजकोषीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2007-08 में 16.99 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2006-07 में पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2005-06 की तुलना में 11.56 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसमें राज्य के कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) में 2006-07 (बजट अनुमान) की तुलना में 16.82 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2006-07 (पुनरीक्षित अनुमान) में वर्ष 2005-06 की तुलना में 5.63 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2007-08 में वर्ष 2006-07 (पुनरीक्षित अनुमान) की तुलना में 10.66 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2007-08 में आयोजनेतर राजस्व व्यय में 10.66 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का महंगाई वेतन के रूप में विलय है। परन्तु वर्ष 2007-08 के बाद आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि 9 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी। इन राजकोषीय उपायों के तहत राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित अनुमान रूपये 1763.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2007-08 में रूपये 2006.73 करोड़ (बजट अनुमान) अनुमानित है। राजकोषीय घाटा रूपये 4593.23 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान) से बढ़कर रूपये 4654.63 करोड़ (बजट अनुमान) होना अनुमानित है। इस प्रकार सभी राजकोषीय संकेतक अधिनियम अंतर्गत निश्चित लक्ष्य की सीमा में हैं।

1/2½ **vkxkeh o"Zdsfy, jkt dksH; ulfr** : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा जिसमें राजस्व आय में वृद्धि एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय में कमी का प्रयास किया जाएगा।

2.1 **dj ulfr** : शासन का प्रयत्न रहेगा कि विकास के संवेग को कम किए बिना राजस्व प्राप्ति में वृद्धि की जाए। शासन की मंशा है कि सकारात्मक कर सुधार के प्रयास प्रारंभ किये जायें ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन कराया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। एक अप्रैल, 2006 से प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू कर दी गई है। दिसम्बर 2006 तक के राजस्व संग्रहण के अनुसार वर्ष 2006-07 में वैट अन्तर्गत लगभग 20 प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं से लगभग 28 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित है। अन्य करों के संबंध में शासन एक ऐसी कर प्रणाली की ओर अग्रसर है, जिसमें विस्तृत आधार पर संयमित दरें एवं कर छूट का युक्तियुक्तकरण सम्मिलित हो। राज्य शासन विभागों की कर संग्रहण व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग करेगा।

2.2 **0; ; ulfr** : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हो यह आवश्यक नहीं है। व्यय के पैटर्न में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे व्ययित धनराशि से अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। क्रियान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने एवं वितरण प्रणाली की कार्य कुशलता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यय को परिणाम से जोड़ने के लिये वर्ष 2006-07 में विधान सभा में प्रथम बार परिणामी बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाई जायेगी तथा निर्धारित मानकों पर आधारित होगी। इससे जन सामान्य को लोक व्यय की क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी तथा इस कारण शासन को सेवा प्रदाय कार्य विधि में सुधारने में सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा उनकी पूरी क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार समर्पित है। इस वचनबद्धता की बजट में जेन्डर की दृष्टि से वर्गीकरण की आवश्यकता है। इस दिशा में महिलाओं को लाभान्वित करने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण करने का सरकार ने प्रयास किया है। इस जेन्डर बजट से योजनाओं का बेहतर लक्ष्य निर्धारण

हो सकेगा। वित्तीय निर्णय लेने सम्बंधी प्रक्रिया निश्चित मापदण्डों पर आधारित होकर वस्तुपरक तथा अधिक पारदर्शी बनाई जावेगी।

पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु इलेक्ट्रानिक निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित कार्यवाही हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाई जायेगी। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अब संभागीय आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जा रही है। आगामी वर्ष में भी व्यय के कतिपय मदों में बचत के उपाय लागू किये जायेंगे। आधिक्य कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण जारी रखा जाएगा ताकि व्यय की दक्षता में सुधार हो।

2-3 **___k ,oavkdfLed nkf; Ro** : वर्ष 2005-06 की मध्यकालिक राजकोषीय नीति में किये गये पूर्वानुमान (**Projection**) के अनुसार वर्ष 2005-06 में राजकोषीय आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, पूंजी निवेश हेतु कर्ज पर निर्भरता काफी कम हो सकेगी। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आधार पर ऋण प्राप्त करने की सीमा निश्चित होगी। आकस्मिक दायित्वों को युक्तियुक्तकरण किया गया है तथा वर्ष 2005-06 में निर्मित गारण्टी विमोचन निधि में रुपये 100 करोड़ का निवेश किया गया है। वर्ष 2007-08 में इस निधि के लिये रुपये 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि पृथक से रखी जा रही है। गारण्टी से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जायेगा। आकस्मिक दायित्वों के भुगतान हेतु बजट प्रावधान किये जायेंगे।

1/2 vlxkeh o"KZdsfy, dk; vfr iKfedrk; 8%

- 3.1 वैट प्रणाली वित्तीय वर्ष 2006-07 में लागू की गई है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वैट प्रणाली में भी कर उत्प्लावकता बनी रहे। स्थानीय निकायों के संसाधन में वृद्धि के लिये प्रवेश कर अंतर्गत उपलब्ध छूट की समीक्षा की जायेगी। उच्च आर्थिक विकास दर के लिये वस्तुओं का निर्बाध परिवहन आवश्यक है और इसके लिए कम्प्यूटराईज्ड अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट एवं नई सूचना तकनीक के माध्यम से परिवहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- 3.2 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में विलय करने के निर्णय से राजस्व व्यय में वृद्धि होगी। परन्तु सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना में पूंजीनिवेश हेतु नितांत आवश्यक राजस्व आधिक्य बढ़ाने के लिये प्रयास जारी रखा जाएगा। सार्वजनिक निवेश की उत्पादकता बढ़ाने के लिये निर्माणाधीन अधोसंरचना

परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर व्यय नीति केन्द्रित रहेगी।

- 3.3 ब्याज दरों में वृद्धि तथा राष्ट्रीय स्तर पर कठिन मुद्रा नीति के कारण लोक ऋण प्रबंधन अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऋण पोर्टफोलियो की संरचना में अभी हाल में हुये परिवर्तन के कारण ऋण लागत में कमी आई है।

1/2 ulfr i ffor dseyv/kkj %

- 4.1 न्याय तथा उत्पादकता की दृष्टि से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्द्ध चिकित्सकीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है।
- 4.2 सरकार का ऋण कार्यक्रम निश्चित करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखा जायेगा। ऋण नीति का मूल उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना है।
- 4.3 किसानों के हित तथा कृषि के लिये बिजली अनुदान में कमी करने की आवश्यकता के मध्य संतुलन रखने की चुनौती है। इससे कृषि पम्पों के अधिकाधिक उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि भी होगी। किसानों के लिये ऋण अनुदान के स्तर का निर्धारण लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक विवेक से लिया जायेगा।
- 4.4 **ulfr eVykdu %** अधिनियम द्वारा वांछित सभी राजकोषीय जानकारीयां उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2006–07 के लिये निश्चित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त मान्यताओं को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

izi ,Q&4

(नियम 7 देखिये)

fl yB/ jkt dKSh; I pd

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2005-06	2006-07 (पु.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	4.08	3.69	3.34
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	-0.73	-38.39	-43.11
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा	0.03	1.42	1.44
4	टी.आर.आर. के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	0.16	7.09	7.17
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	52.50	50.14	48.97
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	285.92	251.14	243.93
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	646.18	614.07	582.86
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	44.32	44.02	45.08
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	144.85	112.61	126.36
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	16.61	15.73	15.19
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	29.32	27.76	29.24
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.56	6.96	7.14

izi , Q&5

(नियम 7 देखिये)

क. राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष 2005-06 (लेखा)	चालू वर्ष 2006-07 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2007-08 (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष 2005-06 (लेखा)	चालू वर्ष 2006-07 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2007-08 (ब.अ.)	पूर्ववर्ती वर्ष 2005-06 (लेखा)	चालू वर्ष 2006-07 (पु.अ.)	आगामी वर्ष 2007-08 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	बाजार उधार	1260.82	1421.47	2286.34	316.52	357.55	510.84	10246.09	11310.01	13085.51
	केन्द्र से ऋण	293.83	433.96	1097.06	414.99	426.89	442.16	8991.02	8997.98	9652.88
	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	3035.02	2120.95	2096.00	36.45	77.13	117.26	12127.81	14171.63	16150.37
	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	570.98	724.16	907.58	186.00	349.80	611.22	6110.03	6484.39	6780.75
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लोक लेखा	1347.66	1473.75	1423.49	1354.27	1312.27	1361.47	7724.84	7850.93	7912.95
	अन्य जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	6508.31	6174.29	7810.47	2308.23	2523.64	3042.95	45199.79	48814.94	53582.46

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2005-06	चालू वर्ष (पु.अ.) 2006-07	पूर्व वर्ष (लेखा) 2005-06	चालू वर्ष (पु.अ.) 2006-07
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	7.59	8.31	8.06	7.58
2	केन्द्र से ऋण	9.00	9.00	7.68	7.92
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	9.50	9.50	10.36	10.04
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	7.87	7.50	8.56	8.18
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	7.50	7.50	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.66	8.00
7	अन्य जमा	-	-	-	-
8	कुल औसत दर *	8.66	8.60	8.77	8.60

^ अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2005-06	चालू वर्ष * 2006-07
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

*जैसा 31 दिसम्बर 2006 को है।

प्ररुप एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)
					उन्मोचित	अनुन्मोचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

* - आंकड़ा (डाटा) चालू वर्ष के लिये 31 दिसम्बर तक है।

izi ,Q&8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	101.16	0	0	0	101.16

izi ,Q&9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	5866.09	-2017.54	3848.55
	स्थानीय निकायों को ऋण	727.89	5.71	733.60
	कंपनियों को ऋण	0.00	0.00	0.00
	अन्य को ऋण	5138.20	-2023.25	3114.95
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इनवेस्टमेंट) अंशपूंजी (शेयर) बोनस शेयर	4151.65	2814.34	6965.99
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/कोषालयीन बिलों में विनिधान	5.57	0.00	5.57
4	14 दिन के इंटरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	199.65	445.31	644.96
5	अन्य वित्तीय विनिधान	-	-	-
6	योग	10222.96	1242.11	11465.07

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

izi , Q&10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2005-06 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	-	-	-
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व	66.81	19.10	85.91
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	16.07	49.29	65.36
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	205.97	553.33	759.30
0039	राज्य आबकारी	31.11	22.62	53.73
0041	यानों पर कर	0.00	33.83	33.83
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.05	0.42	0.47
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	22.78	10.07	32.85
0853	अलौह खनिज और धातुकर्मा उद्योग	38.33	11.56	49.89
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई			
0701-	मध्यम, तथा	79.73	104.44	184.17
0702	लघु सिंचाई			
0406	वन तथा वन्य जीव	3.17	15.82	18.99
	अन्य	-	-	-
	योग	464.02	820.48	1284.50

izi ,Q&11

(नियम 7 देखिये)

d- jkT; I jdkj e\$u; k\$u

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	5145	1.09
2.	2501 से 4300	154689	32.77
3.	4301 से 6100	158701	33.62
4.	6101 से 9700	131219	27.80
5.	9701 से 13300	15118	3.20
6.	13301 से 19300	6754	1.43
7.	19301 से अधिक	436	0.09
	; k\$	472062	100.00

[k jkT; I koZfud {k\$ mi d\$ke\$e\$u; k\$u

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	1540	2.29
2.	2501 से 4300	12571	18.75
3.	4301 से 6100	27084	40.40
4.	6101 से 9700	20193	30.12
5.	9701 से 13300	3392	5.06
6.	13301 से 19300	2105	3.14
7.	19301 से अधिक	161	0.24
	; k\$	67046	100-00

(ii) i\$usosueku dsvk/kj ij

1.	800 तक	371	5.68
2.	801 से 1000	2023	30.99
3.	1001 से 1400	2341	35.86
4.	1401 से 2000	1250	19.15
5.	2001 से 3500	503	07.71
6.	3501 से 5000	36	00.55
7.	5001 से अधिक	4	00.06
	; k\$	6528	100-00

x- v) Z'kl dh; fudk; kæsfu; kš u

(i) uohu osueku dsvk/kj ij

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	584	8.48
2.	2501 से 4300	2717	39.48
3.	4301 से 6100	1542	22.40
4.	6101 से 9700	1422	20.66
5.	9701 से 13300	489	7.11
6.	13301 से 19300	114	1.65
7.	19301 से अधिक	15	0.22
	; kš	6883	100-00

(ii) ijusosueku dsvk/kj ij

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	31	1.21
2.	801 से 1000	699	27.35
3.	1001 से 1400	397	15.53
4.	1401 से 2000	484	18.94
5.	2001 से 3500	835	32.67
6.	3501 से 5000	94	3.68
7.	5001 से अधिक	16	0.62
	; kš	2556	100-00

?k fo' ofo | ky; kæsfu; kš u

(i) uohu osueku dsvk/kj ij

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	521	5.52
2.	2501 से 4300	5390	57.12
3.	4301 से 6100	1037	10.99
4.	6101 से 9700	924	9.79
5.	9701 से 13300	851	9.02
6.	13301 से 19300	563	5.97
7.	19301 से अधिक	150	1.59
	; kš	9436	100.00

**M- uxjh; LFkuh; fudk; kæfu; k\$u
uohu osueku dsv/kkj ij**

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	22059	33.37
2.	2501 से 4300	36393	55.07
3.	4301 से 6100	5684	8.60
4.	6101 से 9700	1607	2.44
5.	9701 से 13300	295	0.45
6.	13301 से 19300	48	0.07
7.	19301 से अधिक	00	0.00
		66086	100-00

**p- fodkl i/kdj. kæfu; k\$u
uohu osueku dsv/kkj ij**

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	361	18.55
2.	2501 से 4300	953	48.97
3.	4301 से 6100	284	14.60
4.	6101 से 9700	234	12.02
5.	9701 से 13300	95	4.88
6.	13301 से 19300	19	0.98
7.	19301 से अधिक	00	0.00
		1946	100.00

**N- xleh.k LFkuh; fudk; kæfu; k\$u
uohu osueku dsv/kkj ij**

(31 मार्च 2006 की स्थिति में)

क्र.	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	56808	56.10
2.	2501 से 4300	39252	38.75
3.	4301 से 6100	4399	4.34
4.	6101 से 9700	640	0.63
5.	9701 से 13300	149	0.15
6.	13301 से 19300	32	0.03
7.	19301 से अधिक	00	0.00
		101280	100-00